राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः प. ( )/एन.आर.एच.एम./सिविल/2010–11/698 दिनांक :–22.08.11

कार्यालय आदेश

विषयः– "मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना" की 02 अक्टूबर 2011 से क्रियान्विति हेतु जिला औषधि भण्डार गृहों, चिकित्सा संस्थानों के सामान्य भण्डारों का सुदृढ़ीकरण एवं औषधि वितरण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण / अतिरिक्त काउन्टर स्थापन/नवस्थापन करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आज दिनांक 22.08.11 को मीटिंग में दिये गये निर्देशों के क्रम में निम्न बिन्दुओं की पालना समयावधि में सुनिश्चित की जावेः–

1. जिला औषधि भण्डार गृहों की आवश्यकतानुसार छत की मरम्मत, वाटर प्रूफिंग, रंग सफेदी, ए.सी एवं कम्प्यूटर की फिटिंग, फाइबर शीट, एक्जास्टर पंखे, परिसर की जंगल सफाई आदि कार्य किये जाकर भवन को नवीन स्वरूप में लाया जाना अपेक्षित है।

   इस कार्य के लिये आवश्यक बजट वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. इसी तरह चिकित्सा संस्थानों पर स्थित सामान्य औषधि भण्डार कक्ष (General Store Room) के रिपेयर कार्य किये जाने है।

   उपरोक्त कार्यो हेतु आवश्यक बजट वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. चिकित्सा संस्थानों पर स्थित बी.पी.एल. दवा वितरण केन्द्रों पर अतिरिक्त काउन्टर/खिडकी ड्राइंग के अनुसार स्थापित करने हेतु एवं सैटेलाइट / उप जिला अस्पतालों में नये वितरण केन्द्र स्थापित करने हेतु माइनर सिविल वर्क /मैन्टीनेन्स कार्य कराये जाने है।

4. उपरोक्त सभी कार्यो को निश्चित समयावधि में निदेशक (जन स्वास्थ्य) के पत्र क्रमांक 179 दिनांक 20.08.2011 के अनुसार पूर्ण कराने की आवयश्कता को देखते हुये निविदा प्रक्रिया हेतु अल्पावधि निविदा आंमत्रित करने की स्वीकृति दी जाती है।

5. सहकारिता विभाग के माध्यम से नये औषधि वितरण केन्द्रों के सिविल निर्माण कार्यो को कराया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के समस्त अधिशाषी एवं सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे सहकारिता विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की पूर्ण देख–रेख करेंगे एवं सुनिश्चित करेगें कि कार्य निर्धारित गुणवत्ता के साथ समयावधि में पूर्ण हो जावे।

सभी प्रभारी अधिशाषी एवं सहायक अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना के **क्रियान्यवन में अपना पूर्ण** ध्यान केन्द्रित कर **सम्बन्धित** मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी /**प्रमुख चिकित्सा** अधिकारी के लगातार **सम्पर्क में रहेगें एवं सभी कार्यो** को आगामी दस **दिनों में पूर्ण** करवाया जाना सुनिश्चित **करेगें। सभी प्रभारी अधिशाषी** अभियन्ता एवं सहायक **अभियन्ता** अधोहस्ताक्षरकर्ता की **अनुमति** के **बिना मुख्यालय नहीं** छोड़ेगें। उपरोक्त **कार्यो में किसी** प्रकार की कोताही नहीं **बरती** जावेगी एवं अक्षम्य होगी।

मुख्य अभियन्ता (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) उपरोक्त कार्यों की दैनिक समीक्षा करेगें एवं दैनिक प्रगति रिपोर्ट **अधोहस्ताक्षरकर्ता** को प्रस्तुत करेगें।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर

क्रमांकः प. ( )/एन.आर.एच.एम./सिविल/2010–11/658 दिनांक :–22.08.11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी., जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान।
3. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर
4. अधिशाषी अभियन्ता (समस्त) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग......................................

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर